धारा 6–ए प्रकरण सं0 33/2020(RCMS No. : 2020/00077) अनवान 1. सुखपाल सिंह पुत्र दिलावर सिंह (वाहन मालिक) निवासी 83 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर 2. गुरविन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह (वाहन चालक) निवासी खिचिया मोड तहसील रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) 3. हरिप्रेम पुत्र देवीलाल (वाहन परिचालक) निवासी 35 एमएल तहसील रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर) बनाम राज्य सरकार जरिये सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन), श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.08.2020

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण सुखपाल सिंह एवं हरिप्रेम के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 गुरविन्द्र सिंह उपस्थित नहीं और न ही उसका नोटिस वापिस प्राप्त हुआ है। अप्रार्थीगण सुखपाल सिंह एवं हरिप्रेम के अधिवक्ता ने फहरिस्त दस्तावेज में अंकित बस का परमिट और बिलों की फोटो प्रतिया पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई। बहस पूर्व में दिनांक 05.08.2020 को सुनी जा चुकी है।

दोनों पक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अ**प्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के अभिभाषक** श्री आनन्द व्यास का कथन था कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त शुदा बस आरजे 13 पीए 6200 एवं उसमे बरामद 1201 लीटर डीजल राजसात करने के लिए यह प्रकरण पेश किया और साथ ही 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक एफ.आई.आर. संख्या 401/2019 जो अप्रार्थीगण हरिप्रेम–परिचालक, सुखपाल सिंह – वाहन स्वामी एवं गुरविन्द्र सिंह–वाहन चालक के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दर्ज अपराधिक प्रकरण संख्या 09/2020 अनुवानी सरकार बनाम हरिप्रेम आदि अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 336,

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

285 भा.द.स. के अन्तर्गत अप्रार्थीगण धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त हो चुके है जबकि धारा 336, 285 आई.पी.सी. के आरोप विचाराधीन है। उक्त धारा 336 एवं 285 आई.पी.सी. के अपराध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते है इसलिए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.02.2020 को दोषमुक्त किये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण में धारा 6ए में जब्तशुदा डीजल एवं बस संख्या आरजे 13 पीए 6200 के सम्बन्ध में विचाराधीन कार्यवाही समाप्त की जावे और उक्त जब्तशुदा बस संख्या आरजे 13 पीए 6200 मय जब्तशुदा डीजल वापिस लौटाया जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6ए के प्रकरण के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व धारा 336, 285 भ.द.स. के तहत एक एफ.आई.आर. संख्या 401/2019 थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर में दर्ज करवाई गई थी जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपराधिक प्रकरण संख्या 09/2020 अनवानी सरकार बनाम हरिप्रेम आदि अन्तर्गत धारा 336, 285 भ.द.स. एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज होकर दिनांक 18.02.2020 के निर्णय के द्वारा अप्रार्थीगण को केवल धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से ही दोषमुक्त किया गया है और उक्त दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है। अतः उक्त धारा 3/7 के आरोप से दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी वाहन स्वामी से जब्तशुदा वाहन बस संख्या आरजे 13 पीए 6200 मय डीजल वापिस प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण को केवल उक्त धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ही दोषमुक्त किया गया है और उनके विरूद्ध अभी भी माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में धारा 336, 285 भ.द.स. की कार्यवाही प्रकरण संख्या 09/2020 में लम्बित है। उक्त जब्तशुदा वाहन बस संख्या आरजे 13 पीए 6200 के विरूद्ध जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष भी कार्यवाही विचारधीन है, जिसकी पुष्टि परिवहन विभाग के सीजर मीमो एवं जिला परिवहन अधिकारी के आदेश दिनांक 05.11.2019 से भी होती है। इससे स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य अपराधिक प्रकरणों में वांछित हो सकता है इसलिए इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही उक्त जब्तशुदा वाहन को सशर्त ही छोड़े जाने का आदेश दिया जा सकता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उक्त जब्तशुदा वाहन के साथ 1201 लीटर डीजल भी जब्त किया गया है जिसके स्वामित्व के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई बिल पेश नहीं किये है, जिससे स्पष्ट नहीं होता कि उक्त डीजल किस प्रार्थीगण का कितना—कितना है। इसलिए बिल पेश करने पर ही उक्त जब्तशुदा 1201 लीटर डीजल भी सशर्त वापिस लौटाना उचित होगा।

मैनें दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थीगण सुखपाल सिंह पुत्र दिलावर सिंह —वाहन मालिक, गुरविन्द्र सिंह पुत्र हरबंस सिंह—वाहन चालक एवं हरिप्रेम पुत्र देवीलाल—वाहन परिचालक के विरूद्ध यात्री बस संख्या **संख्या आरजे 13 पीए 6200** में 1201 लीटर डीजल अवैध परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(Q)(R),3(4)(6), 4 तथा RAJASTHAN

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PETROLEUM PRODUCT (LIC & CONTROL) ORDER 1990 के क्लॉज 15 का उल्लंघन के कारण उक्त यात्रीा बस संख्या **आरजे 13 पीए 6200** एवं 1198 लीटर डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

अप्रार्थी संख्या 1 सुखपाल सिंह—वाहन स्वामी व अप्रार्थी संख्या 3 हरिप्रेम द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2020 के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 09/2020 अनवानी सरकार बनाम हरिप्रेम आदि अन्तर्गत धारा 336, 225 भ.द.स. एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.02.2020 के आधार पर केवल धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक आरोप से दोषमुक्ति होने के कारण उक्त यात्री बस संख्या आरजे 13 पीए 6200 व उक्त जब्तशुदा डीजल वापिस लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मैने **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6क 3(क) व (ग)** का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान है :

> **6क(3)(क) जहां अधिहरण का कोई आदेश कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से पारित नहीं किया जाता है,**
> **6क(3)(ग) – जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अभिहरण का आदेश किया गया है, संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएगें।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस हस्तगत प्रकरण में 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एवं धारा 336, 285 भ.द.स. के अन्तर्गत

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

एक एफ.आई.आर.संख्या 401/2019 थाना कोतवाली में दर्ज करवाई गई थी जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दर्ज अपराधिक प्रकरण संख्या 09/2020 अनवानी सरकार बनाम हरिप्रेम आदि अन्तर्गत धारा 336, 225 भ.द.स. एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.02.2020 के आधार पर केवल धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक आरोप से दोषमुक्ति होने के कारण उक्त यात्री बस संख्या आरजे 13 पीए 6200 व उक्त जब्तशुदा डीजल वापिस लौटाये जाने की प्रार्थना की गई है। चूंकि अप्रार्थीगण धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त आरोप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2020 से दोषमुक्त हो चुके है और इस दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा कोई अपील/रिट आदि पेश नहीं की गई है इसप्रकार उक्त आदेश अन्तिम हो जाता है। इसलिए दोषमुक्ति के परिणास्वरूप अप्रार्थीगण उक्त जब्तशुदा बस आरजे 13 पीए 6200 मय डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उक्त प्रावधानों के तहत वापिस प्राप्त करने के हकदार है। **किन्तु अभी भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 09/2020 अन्तर्गत धारा 336, 285 भ.द.स. के रूप में लम्बित है।** उक्त के अलावा **जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष भी उक्त यात्री बस संख्या आरजे 13 पीए 6200 की कानूनी कार्यवाही विचारधीन है जिसकी पुष्टि जिला परिवहन अधिकारी के आदेश दिनांक 05.11.2019 से भी होती है। इसलिए उक्त जब्तशुदा बस को सशर्त ही छोड़ा जाना उचित होगा।**

जहां तक जब्तशुदा डीजल लौटाने का प्रश्न है उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने आज दिनांक 06.08.2020 को तीन बिल फोटो प्रतियों

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

के रूप में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर क्रमशः बिल नं. 25403/02.11.19 मात्रा 350 लीटर डीजल, 25405/02.11.19 मात्रा 595 लीटर डीजल एवं 25397/02.11.19 मात्रा 245 लीटर डीजल जो कि वाहन संख्या आरजे 13 पीए 6200 के नाम से है, पेश किये है। चूंकि सचिव, प्रादेशिक प्राधिकार, बीकनेर द्वारा जारी परमिट संख्या गंगा/1353/18 के अनुसार श्री सुखपाल सिंह पुत्र दिलावर सिंह उक्त वाहन का स्वामी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त तीनों डीजल बिल जो कि कुल 1190 लीटर के है, उसके क्रेता वाहन स्वामी सुखपाल सिंह से सम्बन्धित ही है। इसलिए उक्त 1190 लीटर डीजल बिलों के आधार पर वाहन स्वामी को ही वापिस लौटाना उचित होगा।

अतः **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं थाना अधिकारी, कोतवाली, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा बस संख्या आरजे 13 पीए 6200 मय जब्तशुदा 1190 लीटर डीजल(बिलों के अनुसार) की अगर किसी अन्य प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय/अथोरिटी(Authority) को आवश्यकता न हो तो उक्त वाहन मय डीजल अथवा डीजल की विक्रय राशि वाहन स्वामी श्री सुखपाल सिंह पुत्र दिलावर सिंह को नियमानुसार वापिस लौटा दी जावे।** अतः उक्तानुसार हस्तगत प्रकरण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को निस्तारित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर